न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 21 आगरा।

सत्र परीक्षण संख्या–268/2018

राज्य बनाम सतीश कुशवाह

CNR NO.-UPAG01-009415-2018

दिनांक 27.06.2019

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आदेशार्थ नियत है। वादी मुकदमा शिशुपाल की ओर से प्रार्थनापत्र कागज संख्या 12ग अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि लिखित प्रार्थनापत्र के आधार पर उक्त मुकदमा अन्तर्गत धारा 498ए,323,307 भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में सतीश कुशवाह (पति), श्रीमती नहनी (सास), ननद नीतू व ननद पूजा के विरूद्ध थाना एत्माद्दौला, जिला आगरा में नाम दर्ज कायम हुआ था। मृतका श्रीमती कविता की मृत्यु के दौरान बाद विवेचना हेतु अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत तरमीम किया गया। विवेचक ने घटना में नामजद अभियुक्तगण श्रीमती नहनी (सास), ननद नीतू व ननद पूजा के नाम अभियुक्तगण से मिलकर निकाल दिए तथा आरोप पत्र केवल सतीश कुशवाह के विरूद्ध न्यायालय में दाखिल किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं साक्षी संख्या 1 व साक्षी संख्या 2 के बयान के आधार पर अभियुक्तगण सतीश कुशवाह के अलावा श्रीमती नहनी पत्नी जगदीश प्रसाद (सास), ननद नीतू व ननद पूजा पुत्रीगण जगदीश प्रसाद, निवासीगण रामबाग, एत्माद्दौला, थाना एत्माद्दौला जिला आगरा का उपरोक्त अपराध को करने में स्पष्ट रूप से साक्ष्य है और उन्होंने सतीश कुशवाह के साथ मिलकर अपराध किया है। अत : अभियुक्तगण श्रीमती नहनी (सास), ननद नीतू व ननद पूजा को तलब किए जाने की याचना की गयी है।

न्यायालय द्वारा अभियोगी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्र तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोगी की ओर से, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0, साक्षीगण पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा शिशुपाल तथा पी0डब्लू0 2 रवि द्वारा अंकित कराए गए बयानों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। पी0डब्लू0 1 शिशपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *''सन 2013 में उसकी बहन की शादी सतीश कुशवाह के साथ पूर्ण दान दहेज के साथ सम्पन्न हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद सास, ननी, नन्द नीतू, पूजा और पति उसको परेशान करने लगे। मारना पीटना शुरू कर दिया था। 18 जनवरी 2018 को रात के 9 बजे सतीश ने उसकी बहन को आग लगा दी। उस समय सास व नन्द साथ में थे।''* जबकि पी0डब्लू0 2 रवि ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *''उसकी बहन का नाम कविता था। उसकी शादी सतीश कुशवाह के साथ दिनांक*

16.07.13 को की थी। कुछ दिन बाद बहन के ससुरालीजन सास नहनी, ननद नीतू, पूजा और उसकी बहन के पति सतीश परेशान करने लगे व मारपीट करने लगे।''

किन्तु पत्रावली का सघनता से परिशीलन करने पर पत्रावली पर उपलब्ध मृतका कविता के दो **मृत्यु पूर्व बयान—** प्रथम, बयान दिनांकित 26.01.2018 **(कागज संख्या 13क)** जिसमें मृतका कविता ने कथन किया है कि *''वह अपने बच्चों के लिए दूध गरम कर रही थी, गैस के पाइप से गैस लीक हो गयी जिससे आग लग गयी और वह जल गयी।''* जबकि दूसरा, **मृत्यु पूर्व बयान—** दिनांकित 31.01.2018 (**कागज संख्या 10क)** में मृतका कविता ने कथन किया है कि *''उसने खुद अपने पर मिट्टी का तेल डाला, उसके पति ने उसके ऊपर जली हुई तिली उसके ऊपर डाल दी और उसकी साडी में आग लग गयी। उसकी सास, उसकी ननद ने पानी डालकर आग बुझाई। उसकी सास, उसका पति उसे आगरा में प्राइवेट अस्पताल ले गए।'* उपरोक्त मृत्यु पूर्व बयान के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती नहनी (सास), ननद नीतू व ननद पूजा की उक्त अपराध कारित करने में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रही है। बल्कि मृतका श्रीमती कविता के कथानुसार उसकी सास श्रीमती नहनी द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी सास व ननद द्वारा पानी डालकर उसके प्राणों की रक्षा करने का प्रयास किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा जिन अभियुक्तगण को न्यायालय में तलब किए जाने की याचना की जा रही है उन अभियुक्तगण की उक्त अपराध कारित करने में कोई भूमिका प्रथमदृष्ट्या प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थनापत्र संधारणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा/अभियोगी का प्रार्थनापत्र कागज संख्या 12ग निरस्त होने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थनापत्र कागज संख्या 12ग अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0स0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 06.07.2019 को पेश हो।

एस0डी0/—

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 21, आगरा।